राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पेमाराम बनाम बंशी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/01/2026	1550/2025 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 17/09/2025 प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. को शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर सुनी गयी। दौराने बहस उद्धरित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किये जाने में सहायक प्रतीत होते है। अत: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किये जाकर प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तत्पश्चात अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी एवं अपील के गुणावगुण पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किये जाने से प्रथमदृष्टया यह जाहिर होता है कि अपीलार्थी का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रेता होने एवं तत्पश्चात राजस्व रिकार्ड में उनके नाम का अंकन होने से प्रथमदृष्टया प्रकरण में उनका प्रभावित पक्ष होना जाहिर होता है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी पक्षकार नही रहे है। ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने में हुये डिले को कन्डोन किया जाना भी न्यायोचित्त प्रतीत होता है। अत: अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर ईजाजत अपील का अनुतोष अपीलार्थी को प्रदान किया जाता है। गुणावगुण के सन्दर्भ में दौराने बहस उभयपक्षों द्वारा उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी जो प्रश्नगत भूमि के सन्दर्भ में हितबद्ध व्यक्ति है, को सुने बगैर ही सरसरी तौर पर विवेचन/विश्लेषण करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का विस्तृत परिक्षण/विवेचन करते हुये निर्णय पारित करते किन्तु ऐसा नही कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटी कारित किया जाना जाहिर होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18/07/2025 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी सहित सभी पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई उभयपक्षकारान विस्तृत विवेचन करते हुये निर्णय पुन: पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	